प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

न्यायपीठः माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक 1341 सन् 1995

डॉ. बनवारीलाल वर्मा व अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य
(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूं

हस्ताक्षरित/-
मुख्य न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु दि. 27/07/2012 को सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

न्यायपीठः मान्नीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

मान्नीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक 1341 सन् 1995

अपीलार्थीगण

1. डॉ. बनवारीलाल वर्मा,
आत्मज रामू वर्मा,
आयु 32 वर्ष, जाति- लोधी
2. श्रीमती शोभा वर्मा,
पति बनवारीलाल वर्मा,
आयु 26 वर्ष, जाति- लोधी
दोनों अपीलार्थीगण निवासी-
बसंत टॉकीज के पीछे,
कैंप नंबर 1, भिलाई,
थाना- छावनी,
तह. एवं जिला- दुर्ग, म. प्र.
(अब छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

मध्य प्रदेश राज्य
(अब छत्तीसगढ़ राज्य),
द्वारा थाना प्रभारी, थाना- छावनी,
भिलाई, जिला- दुर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

उपस्थिति: अपीलार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल के साथ श्रीमती मीरा जायसवाल, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 27.07.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया:

(1) यह अपील चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 364/92 में पारित दि. 2 सितंबर, 1995 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा

10,000/- रुपये के अर्थदंड, एवं अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है।

(2) तथ्य, संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

मृतिका- शशि साहू- एक अविवाहित युवती थी, जिसकी आयु लगभग 24 वर्ष थी। वह अभियुक्त क्र. 3 - शिव उर्फ शिव प्रसाद (दोषमुक्त अभियुक्त) से उन्नत चरण का गर्भ धारण किए हुए थी। अभियोजन का मामला यह है कि दि. 16 जून, 1992 को, अपीलार्थीगण ने उसकी सहमति के बिना गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा उसकी मृत्यु कारित किया था।अपीलार्थी क्र. 1 होम्योपैथी का व्यवसाय कर रहा था और अपीलार्थी क्र. 2 बायो-केमिक दवाओं का व्यवसाय कर रही थी। अभियोजन का मामला यह है कि उन्होंने एलोपैथिक दवाएं देकर उपरोक्त गर्भपात कारित किया। अभियोजन का मामला आगे यह है कि मृतिका के गर्भपात के बाद, अपीलार्थीगण ने गर्भपात के साक्ष्यों को छिपाने का भी प्रयास किया। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 314 और 201 के तहत अभियोजित किया गया था। तीसरे अभियुक्त को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 314 सहपठित धारा 114 और 201 के तहत अभियोजित किया गया था। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया और उन्हें पूर्वोक्तानुसार दंडित किया गया। हालांकि, तीसरे अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन का मामला मुख्य रूप से श्यामा बाई (अ. सा.-3 मृतिका की बड़ी बहन) के साक्ष्य पर आधारित था, जिसने यह कथन किया कि दि. 16.6.92 को शाम लगभग 3-4.00 बजे वह मृतिका को अपीलार्थीगण के क्लिनिक ले गई थी, और उसके पश्चात दि. 18.6.92 को उसे उसकी मृत्यु के बारे में पता चला और यह भी ज्ञात हुआ कि उसका शव सरकारी अस्पताल, दुर्ग में रखा गया था, जहाँ उसे दि. 17.6.92 की रात अपीलार्थीगण द्वारा ले जाया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने श्यामा बाई (अ. सा.-3) के साथ ही तीन डॉक्टरों अर्थात डॉ. आर.बी. अग्रवाल(अ. सा. -9), डॉ. एम.सी. महनोत (अ. सा.-10) और डॉ. डी.एस. बदकुर (अ. सा.-11) के साक्ष्यों पर भी विश्वास व्यक्त किया और माना कि यह सभी उचित संदेहों से परे यह सिद्ध हो चुका था कि अपीलार्थीगण ने मृतिका की सहमति के बिना उसका गर्भपात कारित किया और उनके उक्त कृत्य से मृतिका की मृत्यु कारित हुई, इसलिए, वे पूर्वोक्तानुसार दंडादेश के दायी थे।

(3) श्री एच.बी. अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित हुए, ने यह तर्क दिया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि अपीलार्थीगण ने गर्भपात कारित करने के आशय से कोई कृत्य किया, श्यामा बाई (अ. सा.-3) का साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है, यदि उसका साक्ष्य स्वीकार कर भी लिया जाए, तो भी यह केवल यही सिद्ध करता है कि उसने दि. 16 जून, 1992 को मृतिका को अपीलार्थीगण के क्लिनिक में छोड़ा था और इससे अधिक कुछ नहीं, दोषसिद्धि अटकलों और अनुमानों पर आधारित है, इसलिए, इसे यथावत नहीं रखा जा सकता है।

(4) इसके विपरीत, श्री अरविंद दुबे, विद्वान पैनल अधिवक्ता, जो राज्य की ओर से उपस्थित हुए, उन्होंने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया है।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) हम सबसे पहले यह देखेंगे कि चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा क्या स्थापित किया गया था?

(7) डॉ. आर.बी. अग्रवाल (अ. सा.-9) ने यह कथन किया कि अपीलार्थीगण मॉडर्न टाउन, भिलाई में 'ममता स्वास्थ्य केंद्र' के नाम और शैली से एक निजी क्लिनिक चला रहे थे। दि.17.6.92 की रात लगभग 2.00 बजे, वह ड्यूटी पर थे। अपीलार्थीगण मृतिका को सरकारी अस्पताल लाए और उन्होंने मृतिका की जांच की जो पहले ही मर चुकी थी, इसलिए, शव को शवाधान गृह में रखा गया और इस आशय की एक सूचना (प्रदर्श-पी/17) संबंधित पुलिस थाना को भेजी गई।

(8) डॉ. एम.सी. महनोत (अ. सा.-10) ने मृतिका के शव का शवपरीक्षण किया और पाया कि शरीर सड़ने की अवस्था में था। गर्भाशय 6 x 5 इंच के आकार में विस्तारित था और गर्भाशय में रक्त के थक्के मौजूद थे। शव पर पाए गए सेनेटरी पैड और अंतःवस्त्र खून से सने हुए थे। वे मृत्यु के कारण का पता नहीं लगा सके, इसलिए, आगे की जांच के लिए विसरा और गर्भाशय को सुरक्षित रख लिया गया। संबंधित पुलिस द्वारा उनसे जांच हेतु प्रश्न भेजा गया था कि गर्भाशय में पाए गए रक्त के थक्कों का क्या कारण था, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि यह गर्भपात के कारण था क्योंकि वह गर्भपात किया हुआ गर्भाशय था और मृतिका ने 8-12 सप्ताह का गर्भ धारण किया हुआ होगा। उनकी जांच रिपोर्ट प्रदर्श-पी/15 है। प्रति-परीक्षण की कंडिका-9 में, उन्होंने स्वीकार किया कि रक्ताल्पता या मानसिक या शारीरिक तनाव के कारण गर्भपात हो सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एनाल्जेसिक समूह की अधिक गोलियां लेने से भी गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि ये सभी दवाएं बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे यह भी स्वीकार किया कि यदि कोई गर्भवती महिला निरंतर संभोग करती है, तो भी गर्भपात संभव है। अपने प्रति-परीक्षण की कंडिका-9 की अंतिम पंक्ति में, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह मृतिका के गर्भपात का कारण नहीं बता सकते।

(9) डॉ. डी.एस. बदकुर (अ. सा.-11) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा विधि संस्थान, भोपाल थे। उनके अनुसार मृतिका का विसरा और गर्भाशय परीक्षण एवं राय हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक सीलबंद बोतल में परिरक्षक में उन्हें भेजा गया था, लेकिन जब उन्होंने बोतल खोली, तो उन्हें केवल विसरा ही मिला और गर्भाशय वहाँ नहीं था। इसलिए, वह ऊतकविकृतिविज्ञान परीक्षण नहीं कर सके। अपने मुख्य-परीक्षण की कंडिका-11 में, उन्होंने कथन किया कि शवपरीक्षण शल्य चिकित्सक ने विसरा और गर्भाशय को सेलाइन में सुरक्षित रखा था और ऊतकविकृतिविज्ञान परीक्षण का सुझाव दिया था, जबकि ऐसे परीक्षण के लिए शरीर का कोई भी हिस्सा सेलाइन में नहीं रखा जाता है। चूंकि गर्भाशय को सेलाइन में रखा गया था, इसलिए वह पूरी तरह से घुल गया था और गर्भाशय पर कोई परीक्षण नहीं किया जा सका, और इस प्रकार, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो गया। हालांकि, शवपरीक्षण शल्य चिकित्सक द्वारा किए गए अवलोकनों पर भरोसा करते हुए कि गर्भाशय में रक्त के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थक्के पाए गए थे, उन्होंने राय दी कि गर्भपात हुआ था और चूंकि मृत्यु के अन्य कारण नकारात्मक पाए गए थे, इसलिए मृत्यु का कारण गर्भपात के समय अत्यधिक रक्तस्राव था। यद्यपि उनकी राय उनके द्वारा किए गए किसी भी परीक्षण पर आधारित नहीं है, फिर भी, यदि उनकी राय स्वीकार कर ली जाती है, तो यह केवल यही सिद्ध करती है कि मृतिका की मृत्यु से पहले उसका गर्भपात हुआ था।

(10) अब हम श्यामा बाई (अ. सा.-3) के साक्ष्य का परीक्षण करेंगे।

(11) श्यामा बाई (अ. सा.-3) मृतिका की बड़ी बहन है। उसने कथन किया कि दि. 15 जून, 1992 को दोपहर लगभग 3-4.00 बजे, शशि (मृतिका) उसके घर आई थी। चूंकि पिछले 2 दिनों से शशि का पता नहीं चल रहा था, उसने उससे पूछा कि वह कहाँ थी? शशि (मृतिका) ने उत्तर दिया कि वह तन्नू दीदी के साथ सेक्टर-9 अस्पताल में थी। शशि (मृतिका) रोने लगी। उसने (अ. सा.-3) पूछा कि वह (मृतिका) क्यों रो रही थी? शशि रात में उसके घर पर ही रुकी। रात लगभग 9-10.00 बजे, शशि ने शिकायत की कि उसे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। उसे (मृतिका को) 7-8 बार उल्टियां हुईं। उसे दस्त भी हुए। वह पूरी रात दस्त और उल्टियों से पीड़ित रही। सुबह, श्यामा बाई (अ. सा.-3) ने शशि को अस्पताल ले जाने के लिए एक रिक्शा बुलाया। तब शशि रोने लगी। शशि को सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई ले जाया जा रहा था। हालांकि, उसने (शशि ने) कहा कि वह अपीलार्थीगण के क्लिनिक जाना चाहती है। शशि ने उसे बताया कि वह पहले भी अपीलार्थीगण के क्लिनिक जा चुकी थी। रास्ते में शशि ने बताया कि वह अभियुक्त- शिव प्रसाद से 3 महीने का गर्भ धारण किए हुए थी, जो उसे गर्भपात के लिए डॉ. बनवारीलाल के पास ले गया था। इसके बाद वे अपीलार्थीगण के क्लिनिक गए, जहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की। श्यामा (अ. सा.-3) के अनुसार, दोनों अपीलार्थीगण ने मृतिका से पूछा कि वह पूरी रात कहाँ थी और फिर उन्होंने श्यामा (अ. सा.-3) को शशि को उनके क्लिनिक में छोड़ने के लिए कहा। उसने शशि को उनके क्लिनिक में छोड़ दिया और अपने घर वापस आ गई। हालांकि, उसने ये बातें किसी को नहीं बताईं। दि. 18.6.92 को उसे पता चला कि उसकी बहन- शशि का शव जिला अस्पताल के शवाधान गृह में पड़ा था।

(12) दि. 21.6.92 को श्यामा बाई(अ. सा.-3) का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अभिलिखित किया गया था। उसने उस तारीख तक ये सभी तथ्य किसी को क्यों नहीं बताए? पहले यदि वह अपनी अविवाहित बहन की गर्भावस्था के बारे में छिपा रही थी, लेकिन दि.18.6.92 के बाद भी, जब उसे उसकी मृत्यु के संबंध में पता चला, उसने दि. 21.6.92 तक उपरोक्त तथ्यों का खुलासा नहीं किया।

(13) रामावतार साहू (अ. सा.-1) मृतिका के पिता हैं और हिरोंदी बाई (अ. सा.-2) मृतिका की माता हैं। उनके साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता है कि श्यामा बाई (अ. सा.-3) ने उन्हें अपीलार्थीगण के साथ हुई अपनी उपरोक्त बातचीत के बारे में बताया था। श्यामा बाई (अ. सा.-3) मृतिका की बड़ी बहन थी जो भिलाई में ही रह रही थी। उसका घर उसके माता-पिता के घर के पास ही था। यह काफी अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि इतनी महत्वपूर्ण बातें उसने अपने माता-पिता को भी नहीं बताई थीं। हिरोंदी बाई (अ. सा.-2) ने अपने मुख्य-परीक्षण की कंडिका-4 में विशेष रूप से यह कथन किया कि उसने अपनी पुत्री (शशि) का शव शवाधान गृह में देखा था और वह उसी दिन अपनी बड़ी पुत्री - श्यामा बाई (अ. सा.-3) से भी मिली थी, लेकिन श्यामा (अ. सा.-3) ने उन्हें उसकी छोटी पुत्री (शशि) की मृत्यु के

किसी भी कारण के बारे में नहीं बताया। इसलिए, ऐसे आचरण के आधार पर श्यामा बाई (अ. सा.-3) का साक्ष्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

(14) भारतीय दंड संहिता की धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कृत्य द्वारा कारित मृत्यु से संबंधित है। यह प्रावधान करती है कि जो कोई भी, गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे ऐसी महिला की मृत्यु हो जाती है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक बढ़ सकती है, दंडित किया जाएगा और वह अर्थदंड के लिए भी उत्तरदायी होगा, और यदि वह कृत्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है, तो उसे या तो आजीवन कारावास से, या पूर्वोक्त दंड से दंडित किया जाएगा। यदि हम श्यामा बाई (अ. सा.-3) के साक्ष्य का मूल्यांकन करें, तो इससे यह प्रकट नहीं होता है कि या तो अपीलार्थीगण ने मृतिका का गर्भपात कारित किया था या उन्होंने उसका गर्भपात कारित करने के लिए ऐसा कोई कृत्य किया था, जिससे अंततः मृतिका की मृत्यु हुई। विद्वान सत्र न्यायाधीश इस परिस्थिति से प्रभावित प्रतीत होते हैं कि मृतिका को इन 2 अपीलार्थीगण द्वारा मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। केवल ऐसी परिस्थिति का प्रमाण अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा किसी मरीज को बड़े केंद्र अस्पताल ले जाने के कई कारण हो सकते हैं। विवेचन करने पर हम पाते हैं कि 3 डॉक्टरों के साक्ष्य के आधार पर, यद्यपि यह सिद्ध हुआ था कि मृतिका का गर्भपात हुआ था, परंतु यह बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुआ कि गर्भपात का कारण क्या था और यह कि अपीलार्थीगण उस कारण के सूत्रधार थे। मृतिका का गर्भपात कारित करने और उस कारण उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में अपीलार्थीगण के कृत्य के विरुद्ध किसी भी सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के तहत दंड के लिए दायी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के विवेचन पर, हमें अपीलार्थीगण के विरुद्ध उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के तहत दंडनीय अपराध का दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं।

(15) उपरोक्त कारणों से, यह अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के तहत अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि तथा दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह बताया गया है कि अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
मुख्य न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv NEETA VERMA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur